सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 01.06.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना जसवंतनगर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.05.2024 को वादी राजेश कुमार पुत्र आशा राम निवासी बरौली लखना थाना लवेदी इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर सूचना दी गयी कि दर्शन सिंह उम्र करीब 50 वर्ष की उनके पुत्र अमित राठौर द्वारा हत्या कर दी गयी है, सूचना पर तत्काल **थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या/लूट की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 31.05.2024 को थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा कस्बा जसवंतनगर में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि कस्बा जसवंतनगर के रेल मंडी में पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त कचौरा बाईपास पुल के पास कहीं जाने की फिराक मे खडा है सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित राठौर पुत्र दर्शन सिंह को **कचौरा बाईपास पुल के पास से समय 2.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरा अपने पिता से सदैव मनमुटाव बना रहता था, आगरा में पड़े एक प्लाट को पिता से बेचने के लिए कहा था। जिस पर मेरे पिता ने मना कर दिया तथा मेरे पिता मुझे अक्सर गाली-गलौज किया करते थे और मेरी पत्नी को भी बुरी नीयत से देखते थे इन्ही कारणों की वजह से मैंने अपने पिता के भोजन में नींद की 7 गोली मिला दी जब वह रात में गहरी नींद में सो रहे थे तभी रात्रि 12:00 बजे के आसपास कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करके उनकी हत्या कर दी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2024 धारा 302 भादवि में धारा 328 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित राठौर पुत्र दर्शन सिंह निवासी रेल मंडी निकट हनुमान मंदिर थाना जसवंतनगर जनपद इटावा **उम्र करीब 24 वर्ष**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 302/328 भादवि थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी-

01. आलाकत्ल कुल्हाडी

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री कपिल दुबे प्रभारी थाना जसवंतनगर इटावा, का0 सनोज कुमार, का0 हिमांशु शुक्ला, का0 छोटे लाल।